31.1.19	पुकार पक्षकारान उप० । बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 4.2.19 को पेश हो। [illegible]
4.2.19	वकील पक्षकारान उप०। वाद वादी स्वीकार किया जाता है निर्णय अलग से लिखकर जारी [illegible] किया। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुदा होकर नियम के [illegible] तथा बाद तकमील कार्यवाही [illegible] (3) निर्णय आज दि० 4.2.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। [illegible]

निर्णय दिनांक 04.02.2019

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि नवलगढ की सरहद में आराज़ी पुराने ख. 561 रकबा 3 बीघा 17 बिश्वा जिसका मैट्रिक प्रणाली के अनुसार है0 में रकबा 0.97 है0 बनता है, प्रतिवादी नं. 1 लगायत 18 के पूर्वज डालू वल्द गणेशा के कब्जे काश्त की थी। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 18 के पूर्वज डालू वल्द गणेशा उक्त आराजी को जागीरी समय से काश्त करता था जब रा0 का0 अधि0 1955 प्रभाव में आया तो जमाबंदी संवत 2012 से 2015 में उक्त आराजी में डालू वल्द गणेशा का नाम उपकृषक के रूप में दर्ज हुआ। इसके पश्चात जमाबंदी संव 2016 से 2019 बनी जिसमें भूमि पुराने ख.न. 561 की खातेदारी डालू के वारिस खेता जगन्न दीपा के नाम से दर्ज हुई। नवलगढ की तन में आराजी ख.न. 562 रकबा 1 बीघा 16 बिश्वा, 563 रकबा 1 बीघा 2 बिश्वा कुल किता 2 बीघा 18 बिश्वा जिसका रकबा है0 मं 0.74 है0 बनता है, वादी व प्रतिवादी नं. 19 लगायत 22 के पूर्वज भूरा वल्द गणेशा की खुद काश्त की भूमि थी राजस्व रिकार्ड में भी उक्त आराजी भूरा की खुद काश्त दर्ज है। तथा जमाबंदी संव 2016 से 2019 में खातेदारी खाने मे बिडदा मोहन पुत्र भूरा का नाम से दर्ज हुआ है। जमाबंदी संवत 2016 से 2019 में उक्त आराजी का राजस्व रिकार्ड कब्जे कात के अनुसार सही दर्ज रहा है परन्तु जमाबंदी संवत 2020 से 2023 बनी तो भूमि पुराने ख.न. 561 रकबा 3 बीघा 17 बिश्वा का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी. नं. 1 लगायत 18के पूर्वज खेता जगन दीपा पिता डालू के नाम से सही दर्ज किया। परन्तु भूमि ख.न. 562 रकबा 1 बीघा 16 बिश्वा तथा ख.न. 563 रकबा 1 बीघा 2 बिश्वा का राजस्व रिकार्ड राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने लापरवाहीपूर्वक बिना अधिकार क गलत दर्ज कर दिया जिसमें वादी क पिता बिडदू का नाम हटकार उसके स्थान पर जगन पुत्र डालू दर्ज कर दिया व इसी प्रकार विधि विरूद्ध रूप से ख.न. 563 रकबा 1 बीघा 2 बिश्वा के दो नम्बर 563/1 रकबा 18 बिश्वा ख.न. 563/2 रकबा 4 बिश्वा बनाकर ख.न. 563/2 रकबा 4 बिश्वा की खातेदारी विधि विरूद्ध रूप से बिना किसी अधिकार के प्रतिवादी नं. 23 लगायत 27 के पूर्वज देवा पुत्र सुखा के नाम दर्ज कर दी। उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की आड में बिना किसी अधिकार के बनाया है जो वादी के हक अधिकारो पर शुन्य प्रभावी है। उक्त आराजी का राजस्व रिकार्ड संवत 2020 से 2.031 तक इसी प्रकार गलत बनता रहा सन 1979–80 में भू–प्रबंधक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई जिसमें उपरोक्त पुराने ख.न 561, 562, 563/1, 563/2 को आपस में मिलाकर 561 से नये ख.न. 3191/0.11 तथा 3194/0.09 व 561मी, 562 के नये ख.न. 3192/0.26, 561मी, 562मी के नये ख.न. 3191/0.26, 561मी, 563/1 के नये ख.न. 3195/0.73, 562मी के नये ख.न. 3197/0.22, 563/2 के नये ख.न. 3196/0.05 है0 बनये। भू–प्रबंधक कार्यवाही के दौरान ख.न. पुराने 561, 562, 563 को आपस में मिलाकर नये ख.न. 3191, 3194, 3192, 3191, 3195, 3197, 3196 इनकी खातेदारी विधि विरूद्ध रूप से खेता दीपा पुत्र डालू सांवरा बिहारी सीताराम पिता जगन मोहन पुत्र भूरा के नाम दर्ज कंर दी जिसका उन्हे कोई अधिकार नही था।

ग्राम नवलगढ से जब ग्राम ढाका की ढाणी नवसृजित हुआ तो उपरोक्त ख.न. से बदलकर मिलान क्षैत्रफल संवत 2046 से 2050 में पुराने ख.न. 3191 से 55/0.11, 3194 से नये ख.न. 43/0.09, 3192 से नये ख.न. 45/0.26, 3191 से नये ख.न. 44/0.26, 3195 से नये ख.न. 42/0.73, 3197 से नये ख्न. 46/0.22, 3196 से नये ख.न. 47/0.05 है0 बने। भूमि पुरोन ख.न. 561 रकबा 1 बीघा 16 बिश्वा ख.न. 563 रकबा 1 बीघा 2 बिश्वा भूमि मोहन बिडदा पुत्रान भूरा के कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि रही है मोहन बिडदा पुत्रान भूरा हुये। भूरा के दो पुत्र मोहन व बिडा हुये। मोहन के वारिसान प्रतिवादी नं. 19 लगायत 22 हैं तथा बिडदा का पुत्र वादी है। पुराने ख.न. 561 रकबा 3 बीघा 17 बिश्वा (0.97है0) में 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 लगायत 9 के पूर्वज, 1/3 हिस्से के प्रतिवादी नं. 10 लगायत 14 के पूर्वज तथा 1/3 हिस्सा के प्रंतिावदी 15 लगायत 18 के पिता दीपा का था इसी अनुसार कब्जा काश्त है एवं भूमि पुराने ख.न. 562 रकबा 1 बीघा 16 व ख.न 563 रकबा 1 बीघा 2 बिवा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 18 बिश्वा (0.74) में 1/2 हिस्सा वादी के पिता बिडदा का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नं. 19 लगायत 22 के पिता मोहन का था इसी अनुसार कब्जा काश्त है। परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने बिना किसी अधिकार के उक्त आराजी का राजस्व रिकार्ड ग़लत बनाया है और गत भू प्रबंधक कार्यवाही के समय ख.न. 561, 562, 563 को आपस में मिलाकर नये ख.न 55/0.11, 43/0.09, 45/0.26, 44/0.26, 42/0.73, 46/0.22, 47/0.05 कुल रकबा 1.71 ह0 में से 0.97 है0 में 1/3 हिस्से का प्रतिवादी नं. 1 लगायत 9 व 1/3 हिस्सा के प्रतिवादी नं. 10 लगायत 14 व 1/3 हिस्सा का प्रतिवादी नं. 15 लगायत 18 व शेष रकबा 0.74 है0 में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नं. 19 लगायत 22

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 076/2018

ईश्वर पुत्र बिडदा जाति माली निवासी ढाका की ढाणी तहसील नवलगढ
—वादी

बनाम

1. मनीराम पुत्र गिरधारी पौत्र खेताराम
2. घासी पुत्र गिरधारी पौत्र खेताराम
3. महेन्द्र पुत्र गिरधारी पौत्र खेताराम
4. नोपाराम
5. बनवारी
6. गोरूराम
7. जगदीश पुत्रान ख़ेताराम
8. सुवादेवी पत्नी खेताराम
9. बिमला पुत्री खेताराम
10. सीताराम
11. सांवरमल पुत्रान जगन्न
12. सुमसन
13. ममता पुत्रियां बिहारी
14. रामू पुत्र जगन्न
15. कुडीलाल
16. मदन
17. हरिराम
18. प्रहलाद पुत्रान
19. ओमप्रकाश
20. देबूराम पुत्रान मोहन
21. रामा
22. सन्तरा पुत्रियां मोहन
23. राजू पुत्र मक्खन पौत्र देवा
24. जीतू पुत्र मक्खन पौत्र देवा
25. बिरजू पुत्र मक्खन पौत्र देवा
26. भागीरथ
27. मशर पुत्रान देवा समस्त जाति माली निवासीगण ग्राम ढाका की ढाणी तहसील नवलगढ
28. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू

अधिवक्ता— श्री प्रदीपकुमार झाझडिया ऐडवोकेट एवं किशोर कुमार जांगिड ऐडवोकेट

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड,

निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

1/2 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी अनपढ होने से गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी नही हुई। दिनांक 29.06.15 को राजस्व रिकार्ड क नकल प्राप्त लेने पर गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई। अतः वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जाकर ग्राम ढाका की ढाणी में स्थित भूमि ख.न. 55/0.11, 43/0.09, 45/0.26, 44/0.26, 42/0.73, 46/0.22, 47/0.05 कुल रकबा 1.71 ह0 में से 0.97 है0 में 1/3 हिस्से का प्रतिवादी नं. 1 लगायत 9 व 1/3 हिस्सा के प्रतिवादी नं. 10 लगायत 14 व 1/3 हिस्सा का प्रतिवादी नं. 15 लगायत 18 व शेष रकबा 0.74 है0 में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नं. 19 लगायत 22 को व 1/2 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी नं. 1, 14, 19, 28 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 13, 15 लगायत 18, 20 लगायत 27 की और से वकील श्री सुनिल कुमार ऐडवोकेट का वकालतनामा व इकबालिया जबाबदावा पेश कर वाद वादी स्वीकार किया गया तथा वाद डिकी में कोई एतराज नही होना जाहिर किया गया। अतः शहादत वादी ली जाकर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम नवलगढ संवत 2016 से 2019 के अनुसार भूमि ख.न. 561 रकबा 3 बीघा 18 बिश्वा की खातेदारी खेता जगन्न दीपा पिता डालू कौम माली सा.दे.खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इसी जमाबंदी में भूमि.ख.न 562 रकबा 1 बीघा 16 बिश्वा, 563 रकबा 1 बीघा 2 बिश्वा की खातेदारी बिडदा मोहन पिता भूरा कौम माली सा.देह खातेदार हि0 बराबर दर्ज रिकार्ड है जो प्रदर्श–18 है। जमाबंदी संवत 2020 से 2023 के अनुसार भूमि ख.न. 562 रकबा 1 बीघा 16 बिश्वा तथा ख.न 563/1 रकबा 18 बिश्वा की खातेदारी मोहन पुत्र भूरा व जगन पुत्र डालू कोम माली सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा ख.न. 561 रकबा 3बीघा 17 बिश्वा की खातेदारी खेता जगन दीपा पिता डालू कौम माली सा.दे.हि0ब0 दर्ज रिकार्ड है जो प्रदर्श–16 है। जमाबंदी संवत 2024–2027, 2028 से 2031 प्रदर्श–16 हैं। नकल मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 1985 के अनुसार गत ख.न. 561 से नया ख.न. 3191/0.11, 3194/0.09, गत 561मी व 562 से नंया ख.न. 3192/0.26, 3193/0.26, 561मी व 563/1 से नया ख.न 3195/0.73, 562 से 3197/0.22, 563/2 से नया ख.न. 3196/0.05 बनना प्रमाणित है। तथा ग्राम ढाका की ढाणी नया ग्राम सृजित होने पर नकल मिलान क्षैत्रफल ग्राम ढाका की ढाणी संवत 2047–2050 के अनुसार गत ख.न 3191 से 55/0.11, 3194 से नया ख.न. 43/0.09, 3192 से नया ख.न. 45/0.26, 3193 से नया ख.न. 44/0.26, 3195 से नया ख.न. 42/0.73, 3197 से नया ख.न. 46/0.22, 3196 से नया ख.न. 47/0.05है0 बनना प्रमाणित है। नकल जमाबंदी ग्राम ढाका की ढाणी संवत 2066–2069 के अनुसार भूमि ख.न 42/0.73, 44/0.26, 45/0.26, 46/0.22 किता 1.47है0 की खातेदारी गिरधारीलाल नोपाराम बनवारीलाल गोरूराम जगदीश पिता खेता रूकमणी पतनी स्व0 खेता व सांवरा बिहारी सीताराम पि0 जगन मोहन पुत्र भूरा कुडीलाल मदन हरिराम प्रहलाद पि0 दीपाराम कौम माली सा.देह खातेदार राहिन सांवरा बिहारी पि0 जगन हि0 2/9 झु.स.भू.वि.बैंक नवलगढ मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। जिसके आगे नोट अकित किया गया है. कि नामा सं0 361 नि.दि. 30.10.2009 सांवरा बिहारी पुत्र जगन हि0 2/9 रहनमुक्त स्वीकार। नामा0सं0 446 नि.दि. 05.02.2011 विरासत मोहन फोत के स्थान पर ओमप्रकाश देबूराम पि0 मोहनलाल व रामा संतरा पुत्रियां मोहनलाल हि.ब. जाति माली सा.देह स्वीकार शेष बदस्तूर जमाबदी। नकल जमाबंदी संवत 2066–2069 के अनुसार भूमि ख.न. 43/0.09, 55/0.11 किता 2 कुल रकबा 0.20 है0 की खातेदारी गिरधारीलाल नोपाराम बनवारीलाल गोरूराम जगदीश पिता खेता रूकमणी पत्नी स्व0 खेता सांवरा बिहारी सीताराम पिता जगन कुडीलाल मदन हरिराम प्रहलाद पि0 दीपाराम जाति माली सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है जिसके आगे नोट अंकित है कि नामा0सं0 438 नि.दि. 31.12.2010 विरासत रूकमणी पत्नी स्व0 खेता फोत होने पर गिरधारी नोपाराम बनवारी गोरू जगदीश पि0 खेताराम सुवादेवी बिमला पुत्रियां खेताराम स्वीकार शेष बदस्तूर। नकल जमाबंदी ग्राम ढाका की ढाणी संवत 2066–2069 के अनुसार भूमि ख.न. 47/0.05 है0 की खातेदारी देवा पुत्र मुखा कौम माली सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त राजस्व रिकार्ड से साबित है कि वादग्रस्त आराजी के वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 18 के पूर्वज के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि रही है। वादगस्त आराजी गत ख.न 561, 562 व 563 का रिकार्ड में भू–प्रबंधक कार्यवाही में वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी मुताबिक गत

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

...ई नही बनाया जाना स्पष्ट है। प्रतिवादीगण द्वारा वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाद डिकी किये जाने में सहमति जाहिर की गई है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम ढाका की ढाणी की भूमि ख.न. 55/0.11, 43/0.09, 45/0.26, 44/0.26, 42/0.73, 46/0.22, 47/0.05 किता 7 कुल रकबा 1.71 है0 में 0.97 है0 में 1/3 हिस्से का प्रतिवादी नं. 1 लगायत 9 को, 1/3 हिस्से का प्रतिवादी नं. 10 लगायत 14 को तथा 1/3 हिस्से का प्रतिवादी नं. 15 लगायत 18 को व शेष 0.74 है0 का वादी को 1/2 हिस्से का तथा 1/2 हिस्से का प्रतिवादीगण नं. 19 लगायत 22 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक घोषित खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 04.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner